



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

प. 1(6)(17)RSSB / संस्था / सला. / 2024 / 352

दिनांक 30.4.2024

श्री पी. एल. बैरवा (सेवानिवृत्त आर.ए.एस.)
331, महावीर नगर द्वितीय, महारानी फॉर्म,
दुर्गापुरा, जयपुर-302018

विषय : राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 17(1)(ए) के अन्तर्गत बोर्ड में सलाहकार (नियम) के पद पर प्रस्ताव आमंत्रित करने बावत।

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन ग्रेड-पे रूपये 3600/- (पे मेट्रिक्स लेवल L-10) तक की अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के लिए कार्मिकों का चयन करने हेतु किया गया है। आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। बोर्ड में स्वीकृत सलाहकार के पद पर आप जैसे अनुभवी व्यक्ति की शीघ्र आवश्यकता है। बोर्ड में आपका कार्यकाल एक वर्ष का होगा। सलाहकार (नियम) के पद के लिए जॉब चार्ट संलग्न है।

आप कृपया अपने अनुभव का विस्तृत विवरण देते हुए वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2(1)वित्त/जी एंड टी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.08.2023 के अनुसार पे माईनस पेंशन" (राशि रु. 92300/-) पर बोर्ड में सलाहकार (नियम) के पद पर सेवाएँ देने हेतु अपनी सहमति तीन दिवस में प्रस्तुत करें।

संलग्न : सलाहकार (नियम) पद हेतु जॉब चार्ट

(मेजर जनरल आलोक राज)
अध्यक्ष

प.1(6)(17)RSSB / संस्था / सला. / 2024 /

दिनांक

- नोडल अधिकारी, प्रोक्वेरमेंट एन्टीटी, बोर्ड को भेजकर लेख है कि राज्यलोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर निविदा आमंत्रित करने वाली उपर्युक्त सूचना को अपलोड करावें।
- उपनिदेशक IT CELL, RSSB को भेजकर लेख है कि बोर्ड की वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करावें।
- कैशियर/नोटिस बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

अध्यक्ष

RajKaj Ref
6731710



Signature valid

Digitally signed by Alok Raj
Designation: Chairman
Date: 2024.04.30 12:01 IST
Reason: Approved



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

प. 1(6)(17)RSSB / संस्था / सला. / 2024 / 352

दिनांक 20.4.2024

सलाहकार (नियम) पद हेतु संविदा सेवाओं के लिए जॉब चार्ट

1. रूल्स ऑफ बिजनेस व प्रोसीजर ऑफ बोर्ड (Rules of business and Procedure of Board) तैयार करने तथा उसे अद्यतन करने में सहायता करना।
2. विभिन्न परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण।
3. परीक्षा समाप्ति के 72 घण्टे के अन्दर अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न निर्माण, अनुवाद एवं मुद्रण सम्बन्धी प्राप्त अभ्यावेदन/आपत्तियों का निस्तारण एवं उन्हें की-वेलीडेशन समिति के समक्ष विचारार्थ रखना।
4. की-वेलीडेशन हेतु विभिन्न विषय-विशेषज्ञों को बुलाना एवं उनके मार्फत पेपर-सेटर की कुंजी का की-वेलीडेशन कराना, जिससे कि परिणामों में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो।
5. प्रतीक्षा सूची तैयार करने हेतु विभिन्न न्यायालयों एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अध्ययन के बाद उचित सलाह देना।
6. बोर्ड मेन्युअल एवं एक्ट रूल्स एवं रेगुलेशन बनाने में सहायता देना।
7. विभिन्न विभागों के सेवा नियमों से सम्बन्धित नियमों के बारे में सलाह देना।
8. अन्य कार्य जो समय-समय पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बताये जावें।

अध्यक्ष

RajKaj Ref
6731710

Signature valid

Digitally signed by A. Raj
Designation: Chairman
Date: 2024.04.19 12:01 IST
Reason: Approved